रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED NO. D. (D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 417] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 6, 1978//भाद्र 15, 1900

No. 417] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 6, 1978/BHADRA 15, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(उद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1978

का०आ० 545 (अ).—18/एफ०बी०/आई० डी० आर० ए०/78. भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 662(अ) तारीख 7 सितम्बर, 1977 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न, जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित है) जिनका मेसर्स (खारदाह कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हो परिवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिये निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेष अधिकार बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिये निलम्बित रहेंगे;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 6 सितम्बर 1979 तक, जिसमें यह दिन सम्मिलित है एक और वर्ष के लिये और बढ़ा दी जानी चाहिये,

अतः अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त आदेश की अवधि काल, जिसमें 6 सितम्बर, 1979 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, तक बढ़ा दी है।

[मि० सं० 22/17/78-जूट]

एन०एस० वैद्यानाथन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 6th September, 1978

S.O. 545(E)/18FB/IDRA/78.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 662(e), dated the 7th September, 1977, (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs Khardah Company Limited, Calcutta or the Company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to

such industrial undertaking or Company shall remain suspended for a period of one year and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year upto and inclusive of the 6th September, 1979;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation), Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 6th September, 1979.

[F. No. 22/17/78-Jute]
N. S. VAIDYANATHAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978